फरवरी 2010

III. निवारक कार्रवाई

1. संगठनों में भेद्यताओं, नीतियों तथा ऐसी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां जो भ्रष्टाचार का खतरा उत्पन्न करती हैं, के बारे में संगठनों को सतर्क करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं ।

i) आयोग ने दिनांक 01.02.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 04/02/10 तथा 05/02/10 द्वारा बैंक/वाणिज्य तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर केन्द्रीय परामर्शी बोर्ड का पुनर्गठन किया ।

ii) आयोग ने दिनांक 12.02.2010 के अपने परिपत्र सं0 06/02/10 द्वारा आयोग के दिनांक 29.10.2009 के परिपत्र सं0 30/10/09 के पैरा (5) संशोधन किया जो अभियोजन स्वीकृतियों की संवीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति के गठन के संबंध में है ।